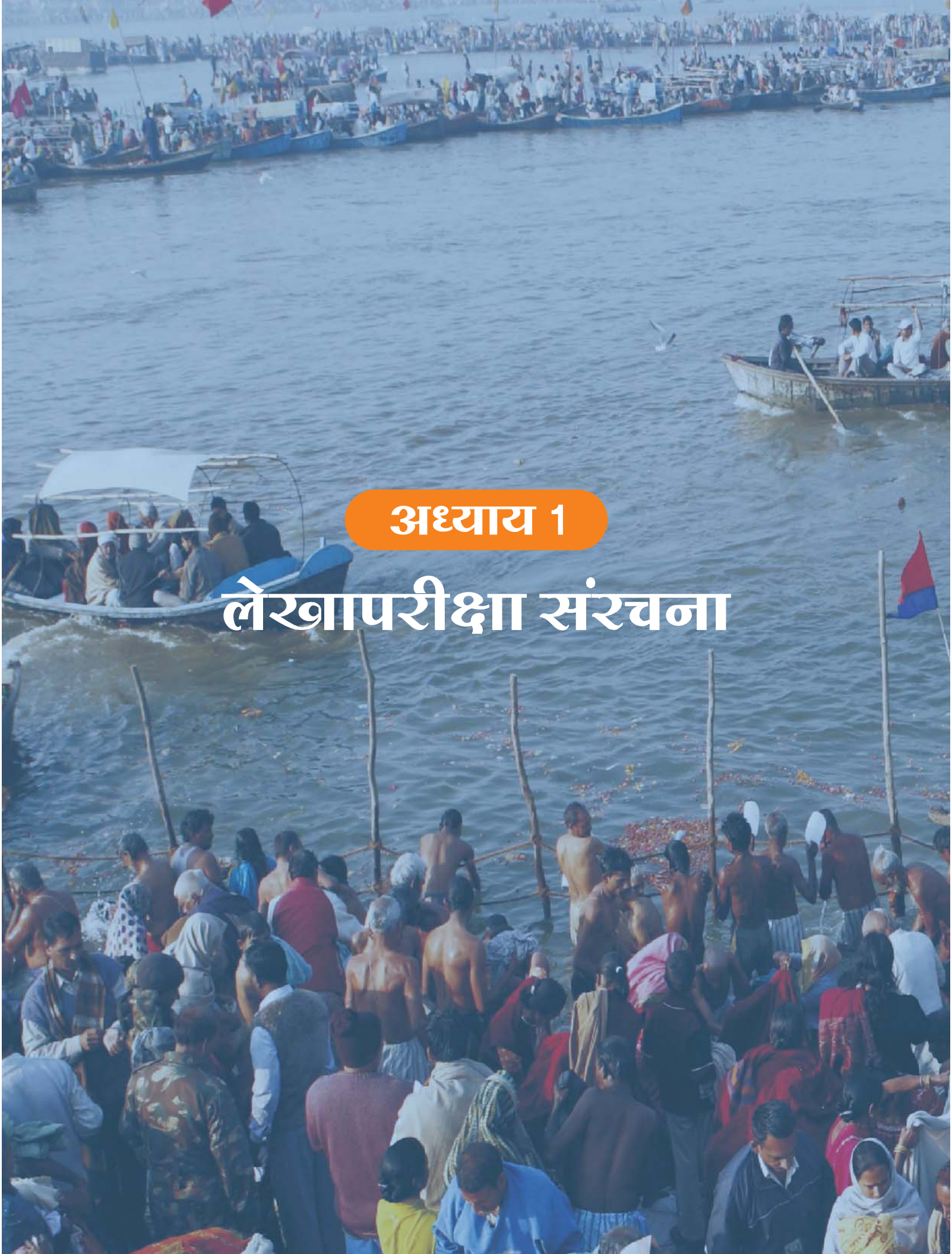

अध्याय 1

लेखापरीक्षा संरचना

अध्याय

1 लेखापरीक्षा संरचना

1.1 पृष्ठभूमि

"अर्द्धकुम्भ मेला 2007, इलाहाबाद के प्रबन्धन" की निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी से जून 2007 की अवधि में सम्पादित की गयी थी। 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), राज्य विधायिका में 15 एवं 19 फरवरी 2008 को प्रस्तुत किया गया था एवं 14 जून 2011 को लोक लेखा समिति में चर्चा की गयी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रमुख बिन्दुओं में श्रद्धालुओं की संख्या का गैर–वैज्ञानिक अनुमान लगाया जाना; नदियों में अपरिशोधित सीवेज छोड़ा जाना एवं संगम में बायो आक्सीजन डिमान्ड तथा कोलीफार्म का स्तर मानक से अधिक होना; मेला क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट एवं मृत जानवरों के शवों को गढ्ढों में निस्तारित किया जाना; आपदा प्रबन्धन योजना न बनाया जाना; आंसू गैस यूनिट, सीसीटीवी[1] कैमरा एवं मेटल डिटेक्टरों का स्थापित न होना; पान्टूनों, पानी की पाइपों एवं लोहे की चादरों को अधिक मात्रा में मंगाया जाना; तथा मेला अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध कुछ संस्थाओं को मुफ्त में टेन्ट एवं फर्नीचर प्रदान किया जाना, सम्मिलित थे।

अप्रैल से जून 2013 के दौरान सम्पादित वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा, सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा–नियोजन, वित्तीय प्रबन्धन, अवसंरचना सुविधाओं का विकास, भीड़ प्रबन्धन, पर्यावरण की सुरक्षा एवं निःशक्त व्यक्तियों तथा श्रमिकों से सम्बन्धित विषय पर एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित किया जाना था कि:

- श्रद्धालुओं/आगन्तुकों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं एवं सुविधाओं की व्यवस्था हेतु महाकुम्भ मेले का समयबद्ध नियोजन, समेकित, वास्तविक एवं वैज्ञानिक रूप से किया गया था;
- लागू नियमों/विनियमों/शासकीय आदेशों के अनुरूप, मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उनकी स्वीकृति/अवमुक्ति समय पर एवं पर्याप्त थी और समुचित लेखाकरण संरचना विद्यमान थी;
- स्थायी एवं अस्थायी कार्यों का क्रियान्वयन एवं सेवाओं की प्रदत्तता समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में, मानकों/विशिष्टियों/शासकीय आदेशों/अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत की गयी थी;
- सामग्रियों/सेवाओं का क्रय, लागू नियमों एवं पद्धतियों का अनुपालन करते हुए मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ किया गया था;

[1] क्लोज सर्किट टेलीविजन।

- भीड़ एवं यातायात प्रबन्धन प्रभावी, श्रद्धालुओं/आगन्तुकों की संरक्षा एवं सुरक्षा तथा यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए किया गया था;
- पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया गया था तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को होने वाले नुकसान को कम करने हेतु कार्यवाहियाँ की गयी थीं;
- महाकुम्भ मेले का प्रबन्धन एवं नियोजन तथा कार्यों का क्रियान्वयन महिलाओं के प्रति संवदेनशीलता, श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए एवं निःशक्त व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था; और
- अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण का तंत्र विद्यमान एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित था तथा अपेक्षित/वांछित परिणाम प्राप्त हुए थे।

1.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्डों के प्रमुख स्रोत निम्नवत् थेः

- युनाईटेड प्राविन्सेस मेला एक्ट, 1938 एवं नियम (विविध),1940;
- राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा दी गयी स्वीकृतियाँ;
- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V एवं VI तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश;
- विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त तथा गुणवत्ता नियन्त्रण एवं अनुश्रवण हेतु गठित विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये निर्देश; और
- निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा बाल श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी कानून।

1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं क्रियाविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा, वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 की अवधि को आच्छादित करते हुए, मुख्यतः 14 जनवरी से 10 मार्च 2013 में आयोजित हुए महाकुम्भ मेले की गतिविधियों के सम्बन्ध में, अप्रैल से जून 2013 के दौरान की गयी थी। लेखापरीक्षा में 23 में से 13[2] विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं के अभिलेखों की जाँच की गयी।

इन 13 विभागों के द्वारा महाकुम्भ मेले में कार्यों एवं सेवाओं की प्रदत्तता पर किये गये व्ययों की लेखापरीक्षा की गयी थी। सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ स्थायी एवं अस्थायी कार्यों का संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन जनवरी से मार्च 2013 के मध्य किया गया। फोटोग्राफिक साक्ष्य भी एकत्र किये गये। अग्रेतर, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, राज्य सरकार, योजना आयोग एवं भारत सरकार से प्राप्त सूचनाओं की भी जाँच की गयी।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग एवं विभिन्न विभागों/कार्यालयों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 14 दिसम्बर 2012 को एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें

[2] इलाहाबाद नगर निगम, आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, गृह (पुलिस) विभाग, होम्योपैथी विभाग, उद्यान विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सिंचाई विभाग (बाढ़), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मेला प्रशासन, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, नगर पंचायत, झूंसी तथा लोक निर्माण विभाग।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानकों, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं क्रियाविधि पर चर्चा की गयी एवं उनके विचारों को लिया गया। राज्य–सरकार का उत्तर प्राप्त करके उन्हें प्रतिवेदन में यथा–उचित समावेशित कर लिया गया है। सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के साथ दिनॉक 04 अप्रैल 2014 को समापन बैठक की गयी। शासन द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी तथा संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

1.5 परिमितता/अवरोध

मुख्य सचिव द्वारा राज्य सरकार के विभागों के सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों को इस सम्बन्ध में आदेश (मई 2012) किये जाने के बावजूद कुछ अभिलेख एवं सूचनायें लेखापरीक्षा को जाँच हेतु प्रदान नहीं की गयी थी।